विभागीय स्तर पर पथ निर्माण के काम होंगे

राज्य ब्यूरो, पटना : पथ निर्माण विभाग से जुड़े इमरजेंसी काम के लिए अब तीन से चार महीने की निविदा अवधि की औपचारिकता से नहीं गुजरना होगा विभाग के स्तर पर ही नॉमिनेशन के आधार पर काम कराया जाना संभव होगा। उच्चस्तर से मिले निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन करने जा रहा है। जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

आम तौर सभी कार्य विभाग अपने काम के लिए पीडब्ल्यूडी कोड पर निर्भर रहते हैं। बगैर निविदा के छोटे से छोटे काम भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में काम के क्रियान्वयन में काफी विलंब होता है। इसलिए योजना है कि विभागीय स्तर पर निबंधित संवेदकों के माध्यम से नॉमिनेशन के आधार पर छोटे-छोटे काम कराएं जाएं। इससे इमरजेंसी काम को समय पर कराए जाने में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। पथ निर्माण विभाग के स्तर पर पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन की जो कवायद चल रही है उसके तहत यह लिमिट तय की जा रही है कि कितनी राशि तक के काम विभागीय स्तर पर कराए जा सकेंगे। काम की प्रकृति भी तय रहेगी। पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन के संबंध में बताया कि पूर्व में निर्माण से जुड़े महकमे में नॉमिनेशन के माध्यम से काम कराए जाने का सिस्टम था। छोटे-मोटे मरम्मत व कलवर्ट आदि से जुड़े काम नॉमिनेशन के माध्यम से होते थे पर बाद में यह सिस्टम खत्म हो गया।